फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

इन्टेक केपिटल लिमिटेड, पता –701–704, मंजूषा बिल्डिंग, 57, नेहरू पैलेस, न्यू दिल्ली – 110019, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री बिलाल अहमद।

– प्रार्थी

बनाम

1. नेचुरल एन्टरप्राइजेज जरिये प्रोपराईटर श्री दिनेश चन्द्र सिकलीगर, पता – 414–415, थर्ड फ्लौर, लोढा कॉम्पलेक्स, उदयपुर (राज.) 313001 **– ऋणी**

2. श्री दिनेश चन्द्र सिकलीगर पुत्र श्री शंकरलाल सिकलीगर, पता – 979, युनिवर्सिटी रोड वार्ड नं0 18, तहसील – गिर्वा, उदयपुर (राज.) 313001 एवं 797, युनिवर्सिटी रोड, केशव नगर, नोर्थ अयाद, नागदा रेस्टोरेन्ट के पिछे, उदयपुर (राज.) 313301

3 श्रीमती रेखा सिकलीगर पत्नी श्री दिनेश चन्द्र सिकलीगर पुत्र श्री शंकरलाल सिकलीगर, पता – 979, युनिवर्सिटी रोड वार्ड नं0 18, तहसील – गिर्वा, उदयपुर (राज.) 313001 एवं 797, युनिवर्सिटी रोड, केशव नगर, नोर्थ अयाद, नागदा रेस्टोरेन्ट के पिछे, उदयपुर (राज.) 313301 **–सहऋणी**

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 30/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 03.11.2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी इन्टेक केपिटल लिमिटेड, न्यू दिल्ली ने दिनांकः 15.09.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थी संख्या–1 लगायत–3 ने इंटेक केपिटल लिमिटेड से दिनांक 30.11.2015 को जरिये वाईड एग्रीमेंट नम्बर LNUDA05115–160006292 से लोन राशि 14,00,000 /– रुपये (अक्षरे चौदह लाख रुपए) का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या–2 श्री दिनेश चंद्र सिकलीगर पुत्र शंकरलाल सिकलीगर जो कि उक्त ऋण अनुबंध पत्र में सहऋणी है, ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्न भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी एक अचल सम्पति ग्राम काग मदारडा, ग्राम पंचाय सेमल, तहसील नाथद्वारा, खसरा नम्बर (3026/3014/2687) राजसमंद (राज.) को ऋणदाता कम्पनी के पास रहन किया और उस पर निर्मित तामीरात कों	

न्यायालय जिला कलक्टर

भी ऋणदाता कम्पनी के पक्ष में आडमान किया। यह कि अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 ने नियमित रूप से ऋणदाता कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं किया और दिनांक 31.12.2018 को ऋण के भुगतान ने व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। अप्रार्थी संख्या–1 लगायत–3 के खाते में बकाया रुपये 20,91,796/–रुपये (अक्षरे बीस लाख इकरानवे हजार सात सौ छियाणवे रुपए) दिनांक 31.03.2020 तक अलावा पैसे प्रति दिन का ब्याज व चार्जेज शेष देय निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 जिम्मेदार है। यह कि प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 12.06.2020 को एक नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतो पर प्रेषित किये गये, जिनका दैनिक समाचार पत्र दी इण्डियन एक्सप्रेस के अंग्रेजी संस्करण में एवं राष्ट्रदूत के हिंदी संस्करण में दिनांक 08.07.2020 को प्रकाशन करवाया गया इस प्रकार नोटिस की जानकारी के पश्चात भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया गया। यह कि अप्रार्थीगण के ऋणदाता कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो सम्पति रहन रखी है उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इसी प्रकार है:– एक आवासीय सम्पति ग्राम काग मदारडा ग्राम पंचायत सेमल, तहसील नाथद्वारा, खसरा नम्बर (3026/3014/2687) राजसमंद, (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2245 वर्गमीटर है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्न प्रकार है :–पूर्व में – आ.न. 3013/2687, 3014/2687, पश्चिम में – आ.न. 2685 उत्तर में – आम रास्ता एवं आ. न. 3013/2687, 2686, दक्षिण में – आ.न. 2687 । यह कि अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 3 ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्राथी कम्पनी उक्त चरण संख्या 5 में वर्णित सिक्युरिटी रहनशुदा सम्पति को व आडमान किये गये सामान का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति ग्राम कागमदारडा, ग्राम पंचायत सेमल तहसील नाथद्वारा, खसरा नम्बर (3026/3014/2687) राजसमंद (राज.) स्थित है व आडमान किये गए सिक्योरिटी जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में दिया गया है का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करे।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता

न्यायालय जिला कलक्टर

हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 16.01.2020 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी स्पीड पोस्ट की रसीदे एवं अखबार की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी इन्टेक केपिटल लिमिटेड, न्यू दिल्ली द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– एक आवासीय सम्पति ग्राम काग मदारडा ग्राम पंचायत सेमल, तहसील नाथद्वारा, खसरा नम्बर (3026/3014/2687) राजसमंद, (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2245 वर्गमीटर है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्न प्रकार है :–पूर्व में – आ.न. 3013/2687, 3014/2687, पश्चिम में – आ.न. 2685 उत्तर में – आम रास्ता एवं आ. न. 3013/2687, 2686, दक्षिण में – आ.न. 2687 ।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी इन्टेक केपिटल लिमिटेड, न्यू दिल्ली के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी इन्टेक केपिटल लिमिटेड, न्यू दिल्ली को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)